भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 183*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

एक राष्ट्र एक उर्वरक नीति

183*. श्री .बिद्युत बरन महतो:
श्री लुम्बाराम चौधरी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'भारत' ब्रांड नाम से एक राष्ट्र एक उर्वरक नीति के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ख) देश में विशेषकर झारखंड में इस पहल के उद्देश्य क्या हैं और मूल्य निर्धारण, ब्रांडिंग और वितरण दक्षता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और
(ग) क्या इस नीति के संबंध में किसानों अथवा उर्वरक कंपनियों से कोई प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'एक राष्ट्र एक उर्वरक नीति' के संबंध में श्री बिद्युत बरन महतो तथा श्री लुम्बाराम चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 01.08.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.183* के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क): एक राष्ट्र एक उर्वरक स्कीम दिनांक 24 अगस्त, 2022 से "प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत लागू है। सभी उर्वरक कंपनियों अर्थात: सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी और निजी क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों द्वारा देश भर में "भारत" ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों का बेचना अनिवार्य है।

(ख): इस स्कीम का उद्देश्य उर्वरकों की उपलब्धता बास्केट को बढ़ाना; बाजारों में उपलब्ध विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित विभिन्न ब्रांडों के विकल्पों में से एक विकल्प चुनने में किसानों की दुविधा को दूर करना, पारस्परिक (क्रिस्क्रॉस) संचलन को कम करना और झारखंड राज्य सहित देश भर में उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। एक एकल "भारत" ब्रांड के तहत ब्रांडिंग को समेकित करने से स्कीम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है, कदाचार पर अंकुश लगा है, और फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तक समान पहुंच सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा, एक राष्ट्र एक उर्वरक नीति का उर्वरकों के मूल्य निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग): जी नहीं।

****